न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–श्री. महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या– [illegible]/17 तारीख रज्जू–14/07/17

1. [illegible] जाति कोली उम्र 70 वर्ष पेशा काश्त निवासी ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ [illegible] हाल निवासी [illegible] बस्ती कोलियो का मोहल्ला, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार जी महोदय, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला स0मा0।

–रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक– 31.7.19

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम भगवतगढ के नामान्तकरण संख्या 987 में पारित निण दिनांक [illegible]/07/1976 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा तहसीलदार सव माधोपुर ने ग्राम भगवतगढ में अपीलार्थी को आवंटित भूमि का नामान्तकरण तस्दीक किया है, स ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 987 निर्णय दिनांक 27/07/1976 निरस्त करने हेतु निवेद किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्म की गई। रेस्पों0 की और से परोकार सरकार उपस्थित तथा अधिनस्थ न्यायालय से मू नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित क कथन किया है कि अपीलान्ट भूमिहीन काश्तकार होने से अपीलान्ट को सरकार द्वारा दिनां [illegible]/[illegible]/75 को ग्राम भगवतगढ में स्थित आराजी खं0नं0 1146/5 (मूल खसरा नं0 1146) में [illegible] बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। तत्पश्चात् गैर खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 98 पटवारी हल्का द्वारा भरते समय इसके कॉलम नं0 11 में अपीलान्ट के स्थान पर अपीलान्ट के पि का नाम व अपीलान्ट के पिता के स्थान पर अपीलान्ट का नाम दर्ज करते हुए सुखदेवा पुत्र भी के स्थान पर भीमा पुत्र सुखदेवा कोली दर्ज कर दिया जो कि कतई गलत है। जबकि भीमा पु [illegible] कोली नाम का कोई व्यक्ति कभी भी ग्राम भगवतगढ में नहीं रहा है तथा सही ना [illegible] पुत्र भीमा कोली है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 987 निर्णय दिनां [illegible]/[illegible]/1976 वाके ग्राम भगवतगढ निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने उक्त नामान्तकरण संख्या 987 निर्णय दिनांक 27/07/1976 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संलग्न उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अपीलान्ट को आवंटित भूमि के आवंटन आदेश संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये है, जिसके अनुसार सुखदेवा पुत्र भीमा को ग्राम भगवतगढ में भूमि आंवटन होना प्रतीत होता है, उक्त आवंटन संबंधित दस्तावेज अपीलान्ट द्वारा अप्रमाणित प्रस्तुत किये गये है। यदि अपीलान्ट को उक्त भूमि आवंटन हुई है तो तहसीलदार सवाई माधोपुर हाल तहसील चौथ का बरवाड़ा द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकरण गलत प्रतीत होता है।अतः प्रकरण पुनः तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को प्रति प्रेषित कर आवंटन आदेश की जांचकर नियमानुसार नये सिरे से नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु लिखा जाना मेरे अभिमत में सही प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा नामान्तकरण संख्या 987 निर्णय दिनांक 27/07/1976 वाके ग्राम भगवतगढ़ निरस्त किया जाता है, साथ ही तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को आवंटित भूमि से संबंधित दस्तावेजों की पुनः जांचकर नियमानुसार नये सिरे से नामान्तकरण तस्दीक करे।

निर्णय आज दिनांक 31.7.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर